

G324/SS(A)
01/06/12

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI -110002.

02/12/1997
Gov. Branch of P...

MAY 2012

No.F81/5/2012-GAD/NCTD / 327-332

Dated: 30/05/2012

To

- 1. The Librarian .Govt. of NCT Delhi (Delhi Legis;ative Assembly Secretariat) 1 Copy
- 2. The Department of Archives Govt. of NCT of Delhi 2 Copies
- 3. The Joint Registrar, Judge Library, Supreme Court of India, Ground Floor, Legislation Section New Delhi (w.r.t.No.F.3/3/SCLG/1996 dt.22.2.1996) 5 Copies
- 4. The Additional Secretary to Lt. Governor Raj Niwas, Delhi -110054 1 Copy
- 5. HOD.,REVENUE DEPARTMENT 10 Copy
- 6. HOD.,URBAN DEVELOPMENT 10 Copy

Subject: Copies of Delhi Gazette

Sir/Madam

I am directed to enclose herewith printed copies each of Delhi Gazette as mentioned above for information and record.

Extra -ordinary/Ordinary	N.C.T.D. No.	Issues No.	Part
Extra Ordinary	17	72	IV sec -

Kindly acknowledge the receipt.

Yours Faithfully,

Encls: A/A

(JALJIT DABAS)
(SUPERINTENDENT/ CN)

Handwritten notes:
SS/Admn./UD - for circulation to all officers of UD concerned
On Leave
2/1/12

ALL GAZETTE NOTIFICATIONS TO BE UPLOADED ON THE WEBSITE OF THE DEPARTMENTS AS PER DIRECTION OF THE CIC IN DECISION NO. CIC/SG/C/2010/001294/14035 DATED 11/08/2011. PLEASE REFR TO THE CIRCULAR NO. F.81/1/2009/GAD/CN/RTI/DSGADIII/893-894 DATED 18/08/2011.

Dairy No. 1578
Dated 1/6

DS(A)

1/6 OS/AJ

05/06/12

M.S. Dillia
Abst. Programmer

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2012/चैत्र 31, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 17]

No. 72]

DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2012/CHAITRA 31, 1934

[N.C.T.D. No. 17]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अप्रैल, 2012

फा. सं. 7(1)/99/रा.स्था./स.र./पार्ट फाईल/584.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 65, दिनांक 10-2-2012 के संदर्भ में श्री दलीप कुमार सैनी, तदर्थ दानिक्स ने दिनांक 1-3-2012 (पूर्वाह्न) को उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय), का कार्यभार संभाल लिया है। अतः :-

- (1) सं०. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री दलीप कुमार सैनी, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।
- (2) सं०. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (पप). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री दलीप कुमार सैनी, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।
- (3) सं०. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (पपप). दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री दलीप कुमार सैनी, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी तथा

